

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर— 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल: aaa2@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/5120

दिनांक :- 10.12.2020

शुद्धि पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक 578/2019-20 दिनांक 09.12.2019 के क्रम संख्या 38 पर अवस्थित श्री तेजपाल कुमावत, कनि० लेखाकार के सम्मुख अंकित “कॉलम संख्या 07 में कार्यग्रहण तिथि 03.07.2017 के स्थान पर 03.07.2017 (मध्यान्ह पश्चात्)”, “कॉलम संख्या 08 में परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि 02.07.2019 के स्थान पर 03.07.2019”, “कॉलम संख्या 09 में वेतन नियमितिकरण की तिथि 03.07.2019 के स्थान पर 04.07.2019” एवं “कॉलम संख्या 10 में स्थायीकरण की तिथि 03.07.2019 के स्थान पर 04.07.2019” पढ़ी जावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/5120

दिनांक :- 10.12.2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
3. श्री सलेअ-III, कार्यालय
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक